भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 049116

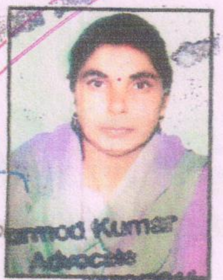

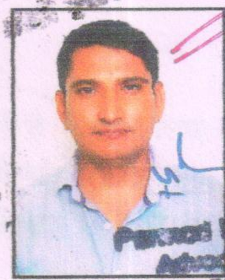

Pramod Kumar
Advocate
Regd No.5639/2011
Tehsil-Khatauli (M Nagar)

# न्यास की घोषणा ( Declaration of Trust )

अनुसूची-1, 64 का (The Indian Stamp Act. 1899)

स्टाम्प शुल्क अंकन 850/- आठ सौ पचास रूपये

हम कि **श्रीमती रविता पत्नी श्री सुधीर कुमार** (आधार कार्ड संख्या 3787 1869 8305) निवासी ग्राम इस्लामाबाद (जौहरा) परगना खतौली तहसील खतौली जिला मु0नगर व **सुशील कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह** (आधार कार्ड संख्या 8506 7441 0017) निवासी ग्राम इस्लामाबाद (जौहरा) परगना खतौली तहसील खतौली जिला मु0नगर के है जिन्हे व्यवस्थापक कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज

क्रमशः ...............

रविता सुशील कुमार

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

क्रम 1 विक्रय की तिथि 9,01,2018

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता श्रीमती [illegible] [illegible]

[illegible]

स्टाम्प की धनराशि 500/-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

EA 273019

सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिए व्यवस्थापकों ने सुरेशवती रणवीर सिंह एजुकेशनल एण्ड सोशल वैल्फेयर ट्रस्ट (Suresh Vati Ranveer Singh Educational & Social Welfare Trust) दिनांक 01/07/2015 ई0 को स्थापित किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11,000/-रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापकों ने शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11,000/-रूपये इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त रारशि को आगे दी गई शक्तियों एवं प्राविधानो के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि:-

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम **सुरेशवती रणवीर सिंह एजुकेशनल एण्ड सोशल**

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

सुशील कुमार

क्रमशः ...............

2 9, 01, 2018

100

1

न्यास पत्र

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 220 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 320

रविता

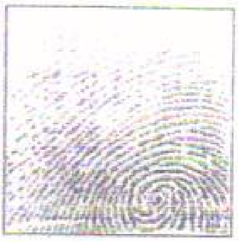

श्रीमती रविता ,
पत्नी श्री सुधीर कुमार
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: इस्लामाबाद (जौहरा) तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 09/01/2018 एवं 02:05:34 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पंकज कुमार जैन
उप निबंधक :खतौली
मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (3) EA 273020

वैल्फेयर ट्रस्ट ( **Suresh Vati Ranveer Singh Educational & Social Welfare Trust** ) होगा।

2. यह कि ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय जी0टी0 रोड मिल मन्सूरपुर परगना व तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 11,000/-रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति, सावधि जमा अथवा समस्त कुल राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय-समय पर प्राप्त हो, धारण करेगें तथा उक्त ट्रस्टगण की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टगण आगे दी गई शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।
4. यह कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों का शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य समाजिक उत्थान के कार्य औषाधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतू धारण करेगें तथा

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

क्रमशः ...............

सुशील कुमार

1/9/2018



[illegible] 3 [illegible] 9, 01, 2018
[illegible] की [illegible] 100
[illegible] नं. 1

[illegible] सिंह [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] की [illegible]

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती रविता, पत्नी श्री सुधीर कुमार

निवासी: इस्लामाबाद (जौहरा) तहसील खतौली जिला मु०नगर

व्यवसाय: गृहिणी

रविता

न्यासी 2: 1

श्री सुशील कुमार, पुत्र श्री रणवीर सिंह

निवासी: ग्राम इस्लामाबाद (जौहरा) तहसील खतौली जिला मु०नगर

व्यवसाय: कृषि

सुशील कुमार

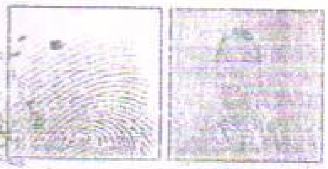

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जसवीर सिंह राणा, पुत्र श्री पीतम सिंह

निवासी: पालिका विहार, सैनीनगर कस्बा खतौली जिला मु०नगर

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

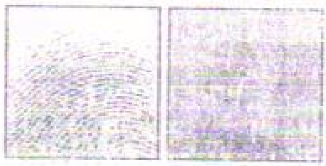

श्री सुधीर कुमार, पुत्र श्री रणवीर सिंह

निवासी: ग्राम इस्लामाबाद (जौहरा) तहसील खतौली जिला मु०नगर

व्यवसाय: कृषि

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी : -

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पंकज कुमार जैन
उप निबंधक : खतौली
मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

EA 273021

न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्य में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या उसके किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य</u>

i. स्कूल, कॉलेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना। सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुऐशन, प्रबन्धन आदि की शिक्षा सम्बन्धी सभी कोर्स हेतु कॉलेजों की स्थापना करना व संचालन करना।

ii. इंजीनियरिंग कॉलेज/कॉलेजों की स्थापना व संचालन करना।

iii. मैडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल व विश्वविद्यालय की स्थापना व

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

क्रमशः ...............

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (5) 28AA 603777

संचालन करना।

iv. शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं का संचालन करना।

v. शैक्षिक किताबों, पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हॉस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

vi. अनुसूचित-जाति व अनुसूचित-जनजाति तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क सहायता आदि प्रदान करना तथा सरकार से प्राप्त करके बच्चो को देना।

vii. सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हे कम्प्यूटर खरीद कर देना एवं तत-सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराना।

viii. अस्पतालों, औषधालयों, अनुसंधानशालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

ix. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

सविता

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

सुशील कुमार

क्रमशः ..............

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6) 28AA 603778

स्वस्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पायें।

x. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना एवं व्यवस्था करना ।

xi. स्कूल व कॉलेज में छात्रों/छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना ।

xii. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हे क्रय विक्रय करना हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना ।

xiii. समाज के चारित्रिक उत्थान के लिए व्याख्यान एवं गोष्ठियों का आयोजन करना।

xiv. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रय शुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना ।

xv. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ।

xvi. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हों जैसे–एड्स, कैंसर आदि जैसी घातक बीमारियों के प्रति जनजागरण चलाना।

7. <u>कार्यक्षेत्र:-</u>

यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा। सरकार से अनुमति

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

क्रमशः ..........

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(7)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AD 009053

04 JAN 2018

लेकर ट्रस्ट का कार्य विदेशों में भी किया जा सकता है।

8. <u>ट्रस्टीगण के अधिकार व कर्तव्य एवं नियुक्ति</u>

i- यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचित की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

ii- यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

iii- यह कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व सचिव/कोषाध्यक्ष का अधिकार ट्रस्ट पर/ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व सचिव/कोषाध्यक्ष की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। ट्रस्ट/व्यवस्थापकों को यह अधिकार होगा कि अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ही ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे। किसी अन्य व्यक्ति का

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M.Nagar

क्रमशः ...............

ट्रस्ट पर/ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

iv- यह कि प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नाम नामांकन कराया जायेगा जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी होगा तथा नव नियुक्त ट्रस्टियों को एतद्द्वारा नियुक्त ट्रस्टियों के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

v- यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टी ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए व नये ट्रस्टी बनाने का अधिकार होगा तथा अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उप सचिव नियुक्त कर सकते हैं। अध्यक्ष व सचिव व कोषाध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्याकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा समय से पहले भी अध्यक्ष एवं सचिव व कोषाध्यक्ष व उपाध्यक्ष बाकी पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकते हैं। निवर्तमान पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है।

vi- यह कि व्यस्थापक/संस्थापक ट्रस्टीयो के 2/3 बहुमत से नियमों संशोधन एवं नये ट्रस्टी/सदस्य बनाये जा सकते है किन्तु नये सदस्यों का ट्रस्ट की सम्पत्ति पर कोई अधिकार किसी प्रकार का नही होगा। संशोधन की पुष्टि होने पर सभी पदाधिकारियों/सदस्यों को इसकी छाया प्रति दी जायेगी क्योंकि मूल ट्रस्ट में संशोधन नही किया जा सकता इसलिए वह पुष्टि के बाद लागू माना जायेगा।

vii- यह कि श्रीमती रविता उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व सुशील कुमार उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे। श्रीमती रश्मि-उपाध्यक्ष, श्री कार्तिक आर्य- कोषाध्यक्ष एवं श्री रणबीर सिंह- संरक्षक सदस्य होगे।

viii- यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य एवं दायित्व होगे।

<u>अध्यक्षः-</u> ट्रस्ट की सभी बैंठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैंठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को समय से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान

Sushil
MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)
रविता

Rashmi
Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar
सुशील कुमार

क्रमशः ...............

करना ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना किन्तु उक्त उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष से करा लिया जायेगा।

सचिव:- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्तावों/आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना। ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलापों को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकें समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैंठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख, अध्यक्ष से सत्यापित करना। अगली बैंठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों को पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

कोषाध्यक्ष:- ट्रस्ट की समस्त आय-व्यय का हिसाब रखना व उसको चार्टेड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान करना। ट्रस्ट के खातों का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा होगा।

9. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व सचिव/कोषाध्यक्ष करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये, आपतकालीन बैठक कर अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी। सर्वसमति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगे।

10. यह कि ट्रस्टीगण समय-समय पर सामाजिक, आर्थिक व पारमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनके एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल नियत आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यो, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे, से प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणत: ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष ही

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

क्रमशः ..............

उक्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः सत्यापित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।

11. यह कि प्रत्येक ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन अपनी पत्नी या बच्चों या कानूनी वारिसों में किसी एक अथवा अधिक अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार होगा। यदि किसी कारणवश ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन नहीं किया गया तो उक्त ट्रस्टी का बडा पुत्र या उसका कानूनी उत्तराधि कारी उक्त ट्रस्टी के स्थान पर ट्रस्टी होगा तथा नव नियुक्त ट्रस्टी को एतद्द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

12. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। नये ट्रस्टी सदस्यों को नियुक्त एवं निष्कासन के लिए बोर्ड की सहमति आवश्यक होगी और उसके लिए बोर्ड से प्रस्ताव पारित करना जरूरी होगा।

13. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार आवश्यक होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को सात दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैंठक के विषय में सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणः ट्रस्ट कार्यालय में होगी। परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ सभी ट्रस्टीगण उचित समझे, बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

14. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का बहुमत से होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगण को लिखित डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा । स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती । ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यो में अध्यक्ष एवं सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी

15. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपनी तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

क्रमशः ..............

व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह क्रम/व्यवस्था आगे भी ऐसी ही चलता रहेगा।

16. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होंगे। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल एजेन्ट, अथवा अन्य व्यक्ति जिसके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी प्रकार की हानि होने पर, परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगें ।

17. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी ऐजेन्ट, जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. यह कि अध्यक्ष अथवा सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग बैंक खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिग का व्यवसाय करती हों, में खोल और रख सकते है। सभी उक्त बैंकिग खातों का संचालन अध्यक्ष, सचिव व कोषध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

19. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का विधिवत सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उसका ऑडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

20. यह कि ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

21. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera M. Nagar

क्रमशः ................

या किराये पर हो या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगां, तथा ट्रस्ट द्वारा क्रय की गयी भूमि/सम्पत्ति ट्रस्टी की भूमि/सम्पत्ति होगी ।

22. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि सम्पत्तियों या आस्त्यिों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना, किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी भी हानि के जिम्मेदार नहीं होगे।
23. यह कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर व्यक्तिगत/वित्तीय संस्थाओं/फर्म/बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बन्धक रखकर ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। इन सभी कार्यो को करने का अधिकार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व सचिव का होगा।
24. यह कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों, ऋण-पत्रों व अन्य परिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगें तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों का निस्तरण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा उसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

यदि ट्रस्ट उत्तर प्रदेश राज्य, सी0 बी0 एस0 ई0/आई0 सी0 एस0 सी0 से सम्बद्धता प्राप्त करेगा तो उत्तर प्रदेश शासन की एन0 ओ0 सी0 से सम्बन्धित निम्न शर्तो का

Sushil
MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)
रेविता

Rashmi
Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar
सुशील कुमार

क्रमशः: ............

पालन करेगा।

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परषिद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार को किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कॉन्सिल फोर दा इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस वक्त परीक्षा उदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेगा।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमनीय वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमनीय सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(7) राज्य सरकार द्वारा जो भी समय-समय पर आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अर्न्तगत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

(10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera M. Nagar

क्रमश: ...............

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती रविता, पत्नी श्री सुधीर कुमार

निवासी: इस्लामाबाद (जौहरा) तहसील खतौली जिला मु०नगर

व्यवसाय: गृहिणी

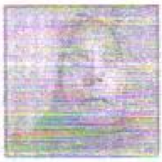

न्यासी 2: 1

श्री सुशील कुमार, पुत्र श्री रणवीर सिंह

निवासी: ग्राम इस्लामाबाद (जौहरा) तहसील खतौली जिला मु०नगर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जसवीर सिंह राणा, पुत्र श्री पीतम सिंह

निवासी: पालिका विहार, सैनीनगर कस्बा खतौली जिला मु०नगर

व्यवसाय: व्यापार

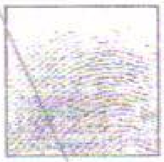

पहचानकर्ता : 2

श्री सुधीर कुमार, पुत्र श्री रणवीर सिंह

निवासी: ग्राम इस्लामाबाद (जौहरा) तहसील खतौली जिला मु०नगर

व्यवसाय: कृषि

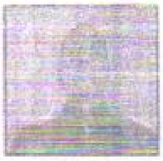

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

पंकज कुमार जैन
उप निबंधक : खतौली
मुजफ्फरनगर

परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नही किया जायेगा।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक-ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किये हैं।

Regd No.5839/2011
Tehsil-Khatauli (M) Nagar

रविता    सुशील कुमार

साक्षी ..............    साक्षी ..............

जसवीर सिंह राणा    सुधीर कुमार पुत्र रणवीर सिंह

इस्लामाबाद (जोहड़)

मुजफ्फरपुर मु०नगर

लेखतिथि:- 09/01/2018 ई0। ड्राफ्टिडबाई:- प्रमोद शर्मा एडवोकेट तहसील खतौली जिला मु0नगर।

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Pramod Kumar
Advocate
Regd No.5839/2011
Tehsil-Khatauli (M) Nagar

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक [illegible] प्रस्तुतकर्ता क्रम [illegible]

आवेदन संख्या : 201800710000291

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2018-01-09 [illegible]

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम [illegible]

लेख का प्रकार [illegible]

प्रतिफल की धनराशि [illegible]

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 220
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 100
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 320

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2018-01-09 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-01-09 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

MANAGER
VEDANTA PUBLIC SCHOOL
SIKHERA (M.NAGAR)

Principal
Vedanta Public School
Sikhera, M. Nagar